संख्या 2 /2020/1311/छिहत्तर–1–2020–18सम/2020

प्रेषक,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक / अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1 लखनऊः दिनॉक 17 जुलाई, 2020

विषयः– 'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत एकल एवं बहुल ग्राम पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण तथा विद्युत देयकों पर आने वाले व्यय भार की व्यवस्था कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश जल निगम के पत्र संख्या–118/2042–संचालन/अनुरक्षण/20, दिनांक 24.06.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से 'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत एकल एवं बहुल ग्राम पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण पर आने वाले वार्षिक व्ययभार की सूचना उपलब्ध करायी गयी है।

2 'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत एकल एवं बहुल ग्राम पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण तथा विद्युत देयको पर आने वाले व्यय भार की व्यवस्था जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायत को राज्य वित्त आयोग से संक्रमित की जाने वाली धनराशि से कराये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत निर्णय लिया गया है:–

(1) जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कियान्वित की जा रही विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं एवं अन्य पाइप पेयजल योजनाओं हेतु यूजर चार्जेज के संग्रहण का कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा सुनिश्चित कराते हुए पंचायती राज विभाग द्वारा राज्य वित्त आयोग की धनराशि, जो जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायत को संक्रमित की जाती है, उसका 10 प्रतिशत धनराशि राज्य स्तर पर रोककर विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण का व्ययभार एवं विद्युत बिल का भुगतान किया जाएगा।

(2) विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एव अनुरक्षण का व्ययभार एवं विद्युत बिलों को जनपद स्तर से सत्यापित माग के आधार पर पंचायती राज विभाग द्वारा सम्बन्धित जनपदों को रोकी गई 10 प्रतिशत धनराशि से हस्तानान्तरित की जायेगी, जिसे जनपद स्तर पर गठित डी0डब्लू0 एस0एम0 के माध्यम से सम्बन्धित वेन्डर एवं विद्युत विभाग को भुगतान किया जाएगा।

(3) बहुल ग्राम पाइप पेयजल योजनाओं में वाछित व्ययभार को ग्राम पंचायतों के मध्य आच्छादित जनसंख्या के अनुपात में बांटा जाएगा।

(4) विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण का व्ययभार एवं विद्युत बिलों के भुगतान हेतु अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन निम्नानुसार किया जाएगा :-

1	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि ।	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि ।	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि ।	सदस्य सचिव
5	आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ	सदस्य
6	निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य

तद्नुसार गठित समिति विभिन्न पाइप पेयजल परियोजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु अपेक्षित धनराशि एवं विद्युत देयों की धनराशि को जनपदों को हस्तानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में संस्तुति करेगी। उक्त व्यवस्था की प्रकिया निर्धारित करने के लिए पृथक से शासनादेश /दिशा-निर्देश निर्गत किया जायेगा।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सन्दर्भित प्रकरण में उपरोक्त लिये गये निर्णय के कम में समयबद्धरूप से शीर्ष प्राथमिकता पर अपेक्षित कार्यवाही कराते हुए आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव

संख्या-2/2020/1311 (1)/छिहत्तर 1 2020-18सम/2020, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 जल शक्ति मंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत मामले में प्रस्तर-2 (4) के सम्बन्ध मे अपने स्तर से आवश्यक शासनादेश निर्गत कराने का कष्ट करें।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नमामिं गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वित्त/नियोजन/नगर विकास/ ऊर्जा एवं न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
9. विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1 के अशासकीय पत्र संख्या-4/3/13/2020-सी0एक्स0 (1) दिनांक 15 जुलाई, 2020 के कम में सूचनार्थ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
संख्या : बी-1-734 / दस-2020-12(2) / 2020टी.सी.
लखनऊ : दिनांक 16 दिसम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

नगर विकास विभाग के अन्तर्गत नमामि गंगे योजना तथा ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत ग्रामीण जलापूर्ति योजना को समेकित कर सचिवालय प्रशासन अनुभाग-1 (अधि.) के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-10 / 2019 / 2079 / बीस-1-ई-2019-603(47) / 90 टी.सी.-18 दिनाँक 08 नवम्बर, 2019 द्वारा एक नये विभाग "नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग" का गठन किये जाने के फलस्वरूप प्रशासकीय विभाग द्वारा नवसृजित नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के लिये पृथक अनुदान संख्या आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

2- उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, वित्तीय वर्ष 2021-2022 से आय व्ययक साहित्य में "नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग" हेतु एक पृथक अनुदान संख्या "93-नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग" आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

उक्तानुसार आवंटित अनुदान संख्या-93 के व्यय-नियंत्रण का कार्य वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 द्वारा किया जायेगा ।

भवदीय,

(आलोक दीक्षित)
विशेष सचिव ।

संख्या : बी-1-734(1) / दस-2020-12(2) / 2020टी.सी., तद्दिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2 अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
3 कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
4 प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश ।
5 प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।
6 अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, ग्राम्य विकास विभाग ।
7 अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नियोजन विभाग ।
8 प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विधायी विभाग ।
9 प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग ।
10 प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास विभाग ।
11 प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ।
12 वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ ।
13 वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
14 नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के समस्त अनुभाग ।
15 प्रोग्रामर ग्रेड-2, वित्तीय प्रबन्ध एवं बजट निदेशालय, विधान भवन, लखनऊ ।

आज्ञा से

(आलोक दीक्षित)
विशेष सचिव ।

FC
18/12/2020
FC